



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012023-241661
CG-DL-E-04012023-241661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07]
No. 07]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2023/पौष 14, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2023/PAUSHA 14, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023

सं. 01/2023-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 8 (अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 के अधीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 818(अ), तारीख 1 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 14/2017-केंद्रीय कर, तारीख 1 जुलाई, 2017 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में- क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	अधिकारी	वे अधिकारी जिनकी शक्तियों का प्रयोग किया जाना है
(1)	(2)	(3)
"8क.	अपर सहायक निदेशक, माल और सेवा कर असूचना या अपर सहायक निदेशक, माल और सेवा कर या अपर सहायक निदेशक, लेखापरीक्षा।	अधीक्षक"

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/17/2022-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक 14/2017-केंद्रीय कर, तारीख 1 जुलाई, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 818(अ), तारीख 1 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2023

No 01/2023-Central Tax

G.S.R. 8 (E).—In exercise of the powers conferred under section 3 read with section 5 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 3 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 14/2017-Central Tax, dated the 1st July, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 818(E), dated the 1st July, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, after Sl. No. 8 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted namely:-

Sl. No.	Officers	Officers whose powers are to be exercised
(1)	(2)	(3)
"8A.	Additional Assistant Director, Goods and Services Tax Intelligence or Additional Assistant Director, Goods and Services Tax or Additional Assistant Director, Audit	Superintendent"

[F. No.CBIC-20006/17/2022-GST]

RAGHVENDRA PAL SINGH, Director

Note: The principal notification No. 14/2017- Central Tax, dated the 1st July, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 818(E), dated the 1st July, 2017.